

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-48/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० शत्रुघन प्रसाद, ट्यूटर (दंत सेवा संवर्ग), राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा द्वारा दिनांक-10.02.2023 से 01.06.2023 तक कुल-112 (एक सौ बारह) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2356(25), दिनांक-12.11.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-48/2026- 855(2) पटना, दिनांक 23/4 /2026

लिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

लिपि: अधीक्षक, राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा /कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० शत्रुघन प्रसाद, ट्यूटर (दंत सेवा संवर्ग), राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।